

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी

रणजीतसिंह 2. गुरदीपसिंह पि. बुधसिंह 3. गुरलालसिंह पुत्र सरजीतसिंह पुत्र बुधसिंह 4. मनदीपसिंह पुत्र दर्शनसिंह पुत्र बुधसिंह 5. परविन्द्रसिंह उर्फ जसविन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह पुत्र बुधसिंह 6. अमनजोत कौर पुत्री सरजीतसिंह पुत्र बुधसिंह 7. सुखजीतकौर पत्नी सरजीतसिंह पुत्र बुधसिंह 8. बलजीतसिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह 9. सिमरन कौर पत्नी सतनामसिंह 10. सतनाम सिंह पुत्र नत्थासिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) - वादीगण

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया



- प्रतिवादी

वाद वास्ते घोषणा एवम् तकसीम खाता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 27-2024.....

निर्णय

दिनांक 04-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वकील वादीगण तथा राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण वाद-पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार कृषि भूमि के खातेदार-काश्तकार हैं। वादीगण की कृषि भूमि का खाता निम्नानुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे -

(क) वादी सं. 1 रणजीतसिंह के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 129/91

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|--|
| 193/114 | 49 | 16, 17, 24, 25 / .253 है.प्र. |
| 193/115 | 69 | 4 / .253 है., 5 / 0.152, 7 / 0.202 है. |

कुल 1.619 है. नहरी

चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 124/101

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|---------------|
| 193/114 | 49 | 14 / .253 है. |

कुल 0.253 है. नहरी

(ख) वादी सं. 3 गुरलालसिंह के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 123/91

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|---|
| 194/114 | 50 | 21 / 253 है. |
| 193/115 | 68 | 1, 10 / .253 है.प्र., 11 / 0.051 है. |
| 193/115 | 69 | 5 / 0.101 है., 6 / .253 है., 15 / 0.051 है. |

कुल 1.215 है. नहरी

(ग) वादी सं. 4 मनदीपसिंह के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 123/91

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|--------------------------------------|
| 193/115 | 69 | 7 / 0.051 है., 14, 17 / 253 है. प्र. |

कुल 0.557 है. नहरी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



(घ) वादी सं.9 सिमरन कौर के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 123/91

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|----------------------------------|
| 194/115 | 68 | 11/.202 है., 20, 21/.253 है.प्र. |
| 193/115 | 69 | 15/.202 है., 16/.253 है. |

कुल 1.163 है. नहरी

चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 127/23

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|--------------|
| 194/115 | 68 | 22/0.051 है. |

(ङ) वादी सं.2 गुरदीपसिंह के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 127/23

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|--------------|
| 194/115 | 68 | 22/0.076 है. |

(च) वादी सं. 8 बलजीतसिंह के कब्जा-काश्त व हिस्सा की भूमि -
चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 127/23

| प.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---------|--------|-------------|
| 194/115 | 68 | 22/.126 है. |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल-दरामद कर दिया जावे।
निज मुब्लिक बाबत 100/- खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 04.04.2024 को जारी की गयी।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया लेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया